न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 95 / 2008 **(RCMS No. 2003/00002)**

वादी

1. श्रीमति धापू देवी पत्नि लिछमण जाति बलाई निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. भागीरथ पुत्र लिछमण जाति बलाई निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. माना पुत्र देवबक्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– गोपाल पुत्र मानाराम
   1/2– प्रभूराम पुत्र मानाराम
   1/3– छोटूराम पुत्र मानाराम
   1/4– सोहनी पुत्र मानाराम
2. झूमरी बैवा कानाराम
3. गोवर्धन पुत्र कानाराम
4. लालाराम पुत्र कानाराम
5. प्रभूराम पुत्र कानाराम
6. हनुमान पुत्र कानाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासीगण औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. संतोष पत्नि पूर्णजी पुत्री लिछमण निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर
8. विमला पुत्री लिछमण पत्नि रामेश्वर निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर
9. रूपादेवी पुत्री लिछमण पत्नि दीपा निवासी दांतारामगढ़ जिला सीकर
10. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, भू–विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री सागरमल सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम की ओर से।

श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 से 9 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 28/01/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 9 मॉ बेटी व भाई बहन तथा स्व. श्री लिछमण के उत्तराधिकारी है, मौजा ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 604 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर, कुल रकबा 3.65 हैक्टर है जिसमे वर्तमान मे रैवेन्यु रेकर्ड मे 1/2 हिस्से के लिए अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है जबकि 1/2 हिस्से के लिए प्रतिवादी सं. 2 ता 6 का नाम खातेदारी में दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी सं. 1 का पति तथा वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 7, 8व 9 का पिता लिछमण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आपस में सगे भाई थे प्रतिवादी सं. 1 बड़ा भाई था, प्रतिवादी सं. 1 व वादिनी का पति अपने पिता के जीवनकाल से ही निर्बाद रूप से उक्त आराजियान पर काबिज काश्त है प्रतिवादी सं. 1 ने ज्येष्ठाधिकार से उक्त सम्पति के इन आराजियान कि खातेदारी अपने नाम करवा ली जबकि एक ही पिता की सन्तान होने के नाते उक्त आराजियान की खातेदारी दोनो भाईयो माना व लिछमण के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी, इस प्रकार माना के नाम दर्ज खातेदारी किन्ही परिस्थितियों में कानूनन पोषणीय नही है व काबिल खारिज है, स्वर्गीय देवबक्ष के समय से ही माना व लिछमण उक्त आराजियान पर काबिज काश्त है और लिछमण के मरणोपरान्त वादिनी एवं उसका नाबालिग पुत्र इन आराजियान पर काबिज है इस प्रकार वादीनी का इस आराजियान में 1/4 हिस्से की भूमि पर निर्बाद रूप से 14 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त रह जाने से परिणामस्वरूप स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, अर्थात उक्त आराजियान पर वादिनी का एडवर्स पजेशन हो चुका है व वादिनी व वादिनी का पुत्र भागीरथ एवं वादिनाी की पुत्रियो के नाते प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 विधिक रूप से उक्त आराजियान की खातेदारी प्राप्त करने के मुश्तहक है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में जो 1/2 हिस्सा दर्ज है उसमें से 1/2 अर्थात कुल आराजियान में से 1/4 हिस्सा रेकर्ड में संशोधन करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, प्रतिवादी सं. 1 ने दिनॉक 15.06.2003 को वादीनी एवं उसके नाबालिग पुत्र को उसके इन आराजियान पर बा–जोत करने वाले हिस्से से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने की वजह से बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बमुकाम औमपुरा में पैदा हुआ, वादीगण की इस्तदुआ है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 7, 8, 9 के पक्ष में इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि मौजा औमपुरा के खसरा नम्बर 604, 605, 1105/603 की खातेदारी में रेकर्ड मं दुरूस्ती फरमाकर माना पुत्र देवाबक्ष बलाई के 1/2 हिस्से स्थान पर माना पुत्र देवबक्ष 1/4 तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण 7, 8, व 9 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए इसी कदर रेकर्ड में अमल दरामदगी किये जाने बाबत प्रतिवादी सं. 10 भूमिधारी तहसीलदार के नाम आदेश जारी फरमावें तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 7, 8, व 9 को उक्त आराजियान के लिए खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें, प्रतिवादीगण को जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 7, 8 व 9 की 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न तो स्वयं करे तथा न ही अपने एजेन्टो से करावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दौराने सुनवाई वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से 6 के विरूद्व कार्यवाही नही चाही जाने हेतु STURK OFF किया गया। प्रतिवादी सं. 7, 8 व 9 की ओर से श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया, प्रतिवादी सं. 10 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सागरमल सेवर द्वारा पैरवी की जाती रही पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब दावा प्रस्तुत नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

करने से जवाब अवसर बंद किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी नकल सम्वत 2030–2033, नक्शा ट्रेस की प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2054–2057, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुचामनसिटी के प्रकरण धापूदेवी बनाम प्रभुराम की आदेशिका 22.01.2007 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य में वादीया धापूदेवी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, वकील वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में माना का भाई लिछमण का 1/4 हिस्सा लिछमण के वारिसान के नाम घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, गिरदावरी नकल सम्वत 2030–2033 कुकनवाली के गत खसरा नम्बर 222 रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा में माना पुत्र देवबक्षा 1/2 काना पुत्र नाथा 1/2 कौम बलाई सा. देह खातेदार दर्ज है तथा माना लिछमण बिरदा पि. देवबक्षा बलाई की काश्त दर्ज है जमाबंदी सम्वत 2054–57 ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 604 रकबा 3.45 हैक्टर खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 3.65 हैक्टर में माना पुत्र देवबक्षा कौम मेघवंशी 1/2 राहिन जयपुर नाागैर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली झमरी बैवा कानाराम गोवर्धन लालाराम प्रभूराम हनुमान पि. कानाराम कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है, चालू जमाबंदी अपना खाता सम्वत 2074–2077 अनुसार औमपुरा के खसरा नम्बर 1105/603, 605, 605 कुल रकबा 3.65 हैक्टर में गोपाललाल पुत्र माना हिस्सा 1/6 हिस्सा जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली गोवर्धन पु कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार छोटूराम पुत्र माना हिस्सा1/6 हिस्सा जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली झमरी पत्नि कानाराम हिस्सा 1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार प्रभूराम पुत्र माना हिस्सा 1/6 हिस्सा जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली प्रभूराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार लालाराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार हनुमान पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। माननीय सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के प्रकरण धापूदेवी बनाम प्रभूराम में आदेशिका दिनॉक 22.01.2007 अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीगण ताफैसला मूल परिवाद प्रार्थीया के मकान व उसके हिस्से की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने के लिए पाबंद किया गया। मौखिक साक्ष्य में भी वादीया द्वारा कथन किया गया है कि देवबक्षा के दो पुत्र माना एवं [illegible] उत्पन्न हुए जिसमे माना ज्येष्ठ पुत्र होने से अकेले के नाम भूमि दर्ज करा ली [illegible] उक्त भूमि में वादिया के पति लिछमण का भी आधा हिस्सा [illegible] अपने पुत्र पुत्रियों सहित काबिज रहती आई है तथा आज दिन भी काबिज है,इसलि[illegible] माना के नाम दर्ज भूमि तथा उसके पश्चात उसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज होने से कुल भूमि में 1/4 हिस्से की हकदार है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 7 से 9 के नाम कुल भूमि में 1/4 हिस्सा इनके

...4...

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 के कायम मुकाम के 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट है कि लिछमण एवं माना दोनो आपस में सगे भाई रहे है तथा उपरोक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, जिसकी पुष्टि गिरदावरी में माना के साथ काश्त दर्ज होने से होती है तथा माननीय सिविल न्यायाधीश के प्रकरण धापूदेवी बनाम प्रभूराम वगैरह में पारित आदेशिका 22.01.2007 अनुसार प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करने के आदेश से होती है। प्रतिवादी सं.1 के कायम मुकाम द्वारा किसी प्रकार का जवाब नही दिया जाना अपने आप में दर्शाता है कि उपरोक्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। समस्त तथ्यों से वाद वादीगण साबित होने से काबिल डिक्री योग्य पाया गया, अतः निम्न प्रकार से वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 3.65 हैक्टर में गोपाललाल छोटूराम प्रभूराम पुत्र माना हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी सा. देह राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली, धापूदेवी पत्नी स्व. लिछमण भागीरथ पुत्र स्व. लिछमण सन्तोष विमला रूपादेवी पुत्रिया स्व. लिछमण हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी सा. देह गोवर्धन पुत्र कानाराम हिस्सा– 1/10 झमरी पत्नी कानाराम हिस्सा 1/10 प्रभूराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 लालाराम पुत्र कानाराम हिस्सा– 1/10 हनुमानराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 28/01/2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 95/2008 **(RCMS No. 2003/00002)**

वादी

1. श्रीमति धापू देवी पत्नि लिछमण जाति बलाई निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. भागीरथ पुत्र लिछमण जाति बलाई निवासी औमपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. माना पुत्र देवबक्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– गोपाल पुत्र मानाराम
   1/2– प्रभूराम पुत्र मानाराम
   1/3– छोटूराम पुत्र मानाराम
   1/4– सोहनी पुत्र मानाराम
2. झूमरी बैवा कानाराम
3. गोवर्धन पुत्र कानाराम
4. लालाराम पुत्र कानाराम
5. प्रभूराम पुत्र कानाराम
6. हनुमान पुत्र कानाराम जाति समस्त मेघवंशी निवासीगण औमपुरा तहसील कुचामनसिटी
7. संतोष पत्नि पूर्णजी पुत्री लिछमण निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर
8. विमला पुत्री लिछमण पत्नि रामेश्वर निवासी घाटवा तहसील नावां जिला नागौर
9. रूपादेवी पुत्री लिछमण पत्नि दीपा निवासी दांतारामगढ़ जिला सीकर
10. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, भू–विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण डिक्री किया जाता है ग्राम औमपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1105/603 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.07 हैक्टर कुल रकबा 3.65 हैक्टर में गोपाललाल छोटूराम प्रभूराम पुत्र माना हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी सा. देह राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुकनवाली, धापूदेवी पत्नी स्व. लिछमण भागीरथ पुत्र स्व. लिछमण सन्तोष विमला रूपादेवी पुत्रिया स्व. लिछमण हिस्सा 1/4 जाति मेघवंशी सा. देह गोवर्धन पुत्र कानाराम हिस्सा– 1/10 झमरी पत्नी कानाराम हिस्सा 1/10 प्रभूराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 लालाराम पुत्र कानाराम हिस्सा– 1/10 हनुमानराम पुत्र कानाराम हिस्सा–1/10 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी

सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 01 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 11:00:58 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.21 18:32:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: